न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

द्वितीय अपील/टीए/92/2020/ अलवर

रामसिंह पुत्र मिठ्ठन जाति जाट, निवासी ग्राम मोकलहेडी, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर

......अपीलान्ट

बनाम

1– मथुरा पुत्र भौरा, जाति जाट, निवासी ग्राम मोकलहेडी, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर
2– लाखन सिंह पुत्र भवानी सिंह
3– भवानी सिंह राजपूत (मृतक) जरिए कायम मुकाम :–
3/1 खेमसिंह पुत्र भवानी सिंह
3/2 गुलाब सिंह पुत्र भवानी सिंह
3/3 हाकम सिंह पुत्र भवानी सिंह
3/4 नवाब सिंह उर्फ बंटी, पुत्र भवानी सिंह
3/5 बने सिंह पुत्र भवानी सिंह

4– तेज सिंह पुत्र भवानी सिंह
5– श्रवण सिंह पुत्र नत्थूसिंह
6– विजेन्द्र सिंह पुत्र हरिसिंह
7– अत्तर सिंह पुत्र हरिसिंह
8– रतन सिंह पुत्र हरिसिंह
9– जतन सिंह पुत्र हरिसिंह
10– दिलिप सिंह पुत्र हरिसिंह
11– रघुवीर सिंह पुत्र ज्ञान सिंह
समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम मोकलहेडी, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर

12– चन्द्रकला बेवा हरिया जाट
13– सतीश पुत्र हरिया जाट
14– निहाल सिंह पुत्र हरिया जाट
15– भूपसिंह पुत्र हरिया
16– वीरवती पुत्री हरिय
17– चंरजी पुत्र बुद्धा जाट
18– मोहन लाल (मृतक) जरिए कायम मुकाम :–
18/1 पदम सिंह पुत्र मोहनलाल
18/2 कमल सिंह पुत्र मोहनलाल
18/3 बने सिंह पुत्र मोहनलाल (मृतक) जरिए कायम मुकाम :–
18/3/1 राहुल पुत्र बने सिंह नाबालिग
18/3/2 पवन पुत्र बने सिंह नाबालिग जरिये बली माता मु0 ओमवती पत्नी स्व0 बनेसिंह जाति जाट, निवासी ग्राम मोकलहेडी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर।

19– मनोहरी पुत्री सम्पत जाट
20– मनफुल पुत्र जगन जाट
21– बलराम पुत्र जगन जाट,
22– प्रेम पुत्र सम्पत जाट,
23– प्रभाती पुत्र मोहन जाट,
24– रामेश्वर पुत्र मंगतू जाट,
25– कैलाश चन्द्र पुत्र नत्था जाट
26– बाबूलाल पुत्र नत्था जाट
27– शिवलाल पुत्र नत्था जाट
28– लीलाराम पुत्र देवी सिंह जाट
29– जगदीश प्रसाद पुत्र देवी सिंह जाट
30– किशोर पुत्र बुद्धा जाट
31– श्रवण पुत्र मोती जाट
32– जगन पुत्र मोती जाट,
33– मगन पुत्र मोती जाट,
34– रघुवीर पुत्र मोती जाट,
समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम मोकलहेडी, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर
35– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर

...अपीलांटस

बनाम

1– मदन सिंह पुत्री देवी सिंह रावत
2– ओम सिंह पुत्र देवी सिंह रावत
3– रामेश्वर पुत्र देवी सिंह रावत
4– मेघ सिंह पुत्र राम सिंह रावत
समस्त निवासीगण बार तहसील भीम जिला राजसमन्द।
5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीम, जिला राजसमन्द।

...रेस्पोण्डेण्टस

खण्ड पीठ

श्री अविनाश चौधरी, सदस्य
श्री भंवर सिंह सान्दू, सदस्य

उपस्थितः–
श्री जगदीश प्रसार माथुर, अभिभाषक अपीलांट
श्री अमित कासोटिया, अभिभाषक रेस्पोण्डेण्ट

निर्णय

दिनांक : 23–9–2022

1– यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तश्कारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–12–2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट/वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का विरूद्ध रेस्पो0/प्रतिवादीगण के उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नं. 97 रकबा 16 बिस्वा, 99 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा, 100 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 101 रकबा 6 बिस्वा, 102 रकबा 5 बिस्वा, 103 रकबा 13 बिस्वा, 105 रकबा 18 बिस्वा, 106 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, 109 रकबा बीघा 18 बिस्वा, 110 रकबा 7 बिस्वा, 110 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, 112 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 113 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, 114 रकबा 10 बिस्वा, 115 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 116 रकबा 13 बिस्वा, 117 1 बीघा 3 बिस्वा, 118 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 120 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा व ख.न. 151 गै.मु.चाह में वादी का राजस्व रेकार्ड के मुताबिक 1/48 हिस्सा है। वादी/अपीलांट एवं प्रतिवादी रेस्पो0 विवादित आराजी के सह खातेदार काश्ताकार है और अपने–अपने हिस्से के अनुसार श्यामलात में काबिज काश्त रह कर काश्त करते चले आ रहे है एवं सरकारी लगान अदा करते चले आ रहे है और उक्त आराजी संयुक्त खातेदारी की होने से प्रत्येक सहखातेदार का आराजी मुतनाजा का जब तक बटवारा विविध तरीके से नहीं हो जाता तब तक हर इंच पर कब्जा माना जाता है।

प्रतिवादी लडाकू किस्म के व्यक्ति है जो कि आराजी मुतनाजा अबट में जबरन रास्ते के पास विशेष हिस्से पर कब्जा करना चाहते है एवं निर्माण कार्य बिना भूमि को रूपान्तरित कराये एवं बिना विधिक बटवारा कराये जबरन निर्माण कार्य करने जुस्तुजू में है जिस बाबत प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार नहीं है और अपीलांट/वादीगण आराजी मुतनाजा का अच्छी से अच्छी और बुरी में से बुरी मुताबिक राजस्व रिकार्ड हिस्सा विधिक बटवारा करवाने बाबत प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा पहले तो यह हां करते रहे बाद में उन्होंने दिनांक 08.06.2015 को प्रतिवादीगण ने आराजी मुतनाजा का विविधक बटवारा करवाने से साफ इंकार कर दिया और धमकी दी कि आराजी मुतनाजा के विशेष रास्ते के पास वाले पर जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य करके रहेंगे और वादी को रास्ते के पास वाली भूमि को जोतने बोने नहीं देंगें। और भी कई बाते अपने वादपत्र में कही और अंत में दावे को डिक्री किये जाने की प्रार्थना की।

उपखण्ड अधिकारी द्वारा दावे को दर्ज रजिस्टर्ड कर रेस्पो0/प्रतिवादीगण को दिया जिस पर रेस्पो0/प्रतिवादीगण की और से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ द्वारा दिनांक 25–6–2016 को प्रारम्भिक डिक्री जारी करते हुए तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को आदेश दिया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड वादी एवं प्रतिवादीगण के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर मय नक्शा के उभयपक्ष की उपस्थिति में तैयार कर इस न्यायालय को दिनांक 26–8–2016 तक भिजवावे। और उन्होंने प्रारम्भिक पर्चा डिक्री जारी करने का आदेश प्रदान कर दिया।

उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ कू निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25–6–2016 के विरूद्ध अपीलांट रामसिंह ने एक अपील सं. 62/2016 राजस्व अपील अधिकारी अलवर के न्यायालय में प्रस्तुत की। और राजस्व अपील अधिकारी ने

उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31–1–2017 के द्वारा अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25–6–2016 में संशोधन करते हुए तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को विवादित आराजी में अपीलांट व रेस्पो0 के मध्य अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि के विवादित प्रस्ताव तैयार कर मय नक्शा अधीनस्थ न्यायालय में करेंगे साथ ही तहसीलदार विभाजन के प्रस्ताव तैयार करते समय विभाजित आराजी में रास्ते की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करेंगे। राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–1–2017 के विरूद्ध विपक्षीगण द्वारा एक अपील टी.ए. 1055/2017 मंडल राजस्थान, अजमेर में प्रस्तुत की गई और राजस्व मंडल की खण्डपीठ द्वारा अपील को दिनांक 20.03.2017 को एडमिशन की अवस्था पर ही स्वीकार करते हुए राजस्व अपील अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 31.01.2017 को अपास्त कर दिया और तहसीलदार को आदेशित किया कि वह नियम 18 से 21 की पालना करते हुए एवं उपखण्ड अधिकरी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2016 के आदेश को मध्यनजर हुए तथा आरबीजे 2016 पेज 170 के निर्णय को मध्यनजर रखकर विभाजन प्रस्ताव यथाशीघ्र उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ को भिजवाये साथ ही राज्य सरकार के परिपत्र के अनुपालना करते हुए विवादित भूमि के संबंध में रास्ते के संबंध में भी उपलब्धता कराते हुए विभाजन प्रस्ताव भिजवावे। उपखण्ड अधिकारी के द्वारा उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प बेकाम बडका पेश हुई कुरेजात रिपोर्ट पर उभयपक्ष को सुना गया और कुरेजात रिपोर्ट पर अपनी सहमति जाहिर कि और सहमति की पुष्टि में अपने हस्ताक्षर भी किये। उपखण्ड अधिकारी द्वारा इस सहमति के आधार पर प्रकरण में अंतिम डिक्री दिनांक 02.06.2017 को जारी कर दी। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ द्वारा सहमति के आधार पर पारित अंतिम डिक्री दिनांक 2–6–2017 के विरूद्ध मथुरा पुत्र भौंरा द्वारा राजस्व अपील अधिकारी अलवर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16–12–2019 के द्वारा स्वीकार कर लिया और उन्होंने उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 2–6–2017 को निरस्त कर प्रकरण को प्रतिप्रेषित कर दिया जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर का आदेश दिनांक 16–12–2019 न्याय, नियम व रेकॉर्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर ने इस बात गौर नहीं किया कि रेस्पो0/प्रतिवादी मथुरा द्वारा उनके न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ के द्वारा पारित अंतिम डिक्री व निर्णय दिनांक 2–6–2017 के विरूद्ध जो अपील प्रस्तुत की गई थी वह मियाद बाहर थी। न्यायालय का यह कर्तव्य था कि वह सर्वप्रथम अपील के बिंदु को तय करता, तत्पश्चात् प्रकरण के गुणावगुण पर अपना निर्णय प्रदान करते। किंतु विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी ने मियाद के बिंदु को निर्णित किए बिना ही कानूनी भूल की है। विद्वान राजस्व

अपील प्राधिकारी ने महत्वपूर्ण कानूनी बिंदू को नजरअंदाज कर जो निर्णय प्रदान किया है वह निरस्तनीय है। उनका यह भी कथन है कि रेस्पो0 मथुरा द्वारा मृतक के वारिसों को रिकॉर्ड पर लेने की कोई कार्यवाही नहीं की गई थी इस कारण विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय व डिक्री मृतक व्यक्ति के विरूद्व पारित होने से शून्य प्रभावी है, काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के निर्णय दिनांक 16—12—19 को निरस्त फरमाया जाकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मगणगढ़ जिला अलवर के निर्णय दिनांक 2—6—2017 को बहाल रखा जावे। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :—

1— डीएनजे—2009(1) पेज—141 (एससी)
2— आरबीजे—2006(13) पेज—78 (एचसी)
3— डीएनजे—2021(1) (राजस्व) पेज—707
4— डीएनजे—2021(2) (राजस्व) पेज—804
5— आरबीजे—2022 पेज—502
6— आरबीजे—2006 पेज—78 (एचसी)

उक्त न्यायिक दृष्टान्तों से मार्गदर्शन प्राप्त किया जिसमें यही अभिमत दिया गया कि मियाद बाहर प्रस्तुत अपील / प्रकरण में सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु को तय करने के पश्चात ही प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय किया जा सकता है।

5— विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस का जवाब देते हुए कथन किया कि जो डिक्री पारित की गयी थी उसमें उपखण्ड अधिकारी के द्वारा प्राथमिक डिक्री पारित की गयी है जिसमें कोई सहमति नहीं थी। तहसीलदार द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव में राजस्व मण्डल के नियम—18 से 21 की पालना नहीं की गयी है। बंटवारा प्रस्ताव में पक्षकारान के मध्य में रास्ते का प्रावधान भी नहीं किया गया जो कानूनन आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर का निर्णय विधिसम्मत है। अपील में ऐसे कोई सारभूत तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिनके कारण अपील स्वीकार की जा सके। अतः अपील खारिज किये जाने योग्य है। विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :—

1— आरबीजे—2017 पेज—299 से 308
2— आरबीजे—2011 पेज—41 से 44
3— आरबीजे—2007 पेज—475 से 480
4— आरबीजे—2016 पेज—170 से 174

उक्त न्यायिक दृष्टान्तों के तथ्य प्रस्तुत प्रकरण से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होते हैं।

अपीलान्ट द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत करते हुए अधीनस्थ न्यायालय में समझौते से निर्णय नहीं होना बताया। भू—प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर ने उक्त अपील को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि अधीनस्थ न्यायालय के यहां प्रकरण साक्ष्य वादी में लम्बित था। आदेशिका पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर हैं, परंतु आदेशिका पर कोई प्रभावी आदेश नहीं

लिखा गया है तथा पक्षकारों ने कोई लिखित समझौता भी पेश नहीं किया है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार आदेश को समझौते के आधार पर पारित अंतिम अवार्ड नहीं माना जा सकता। भू–प्रबन्ध अधिकारी ने दिनांक 22–11–2016 को अपील खारिज कर दी जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का भी बारीकि से अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

7– अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट होता है कि उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा सहमति के आधार पर पारित अंतिम डिक्री दिनांक 2.6.2017 के विरूद्ध मथुरा पुत्र भंवरा द्वारा मियाद बाहर अपील मद धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के न्यायालय में प्रस्तुत की। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि उसे अंतिम डिक्री की जानकारी पूर्व में नहीं थी। दिनांक 29.11.2017 को असल रेस्पोण्डेण्ट रामसिंह विवादित आराजी खसरा नंबर 109 पर आया और कहा कि अदालत से फैसला होकर बंटवारा हो गया है। आराजी खसरा नंबर 109 में 3 बिस्वा रकबा मध्य में उसके हिस्से में आया है जिस पर दिनांक 30.11.2017 को उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में जाकर जानकारी कर नकल के लिये प्रार्थना–पत्र पेश किया और नकल दिनांक 3–11–2017 को प्राप्त की। इस प्रकार आलोच्य निर्णय व डिक्री दिनांक 2–6–2017 से आज दिनांक तक का समय मुजरा दिया जाकर अपील को अंदर मियाद माना जावे । उक्त प्रार्थना–पत्र का अपीलार्थी वादीगण ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलांट को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 2.6.2017 से ही है क्येांकि उक्त निर्णय व डिक्री पक्षकारान की सहमति से कुरेजात रिपोर्ट के आधार पर पारित की गई है । इस कारण अपील मियाद बाहर है और खारिज किये जाने योग्य है । साथ ही यह भी कथन किया कि उक्त प्रकरण राजस्व मण्डल तक चला और राजस्व मंडल के निर्णय की पालना में दिनांक 6.5.2017 को दोनों पक्षों की उपस्थिति में नियम 21 की पालना करते हुए कुरेजात रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय में पेश की गई थी जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कुरेजात रिपोर्ट पर किसी भी पक्षकार की आपत्ति एवं पक्षकारों की सहमति के आधार पर कुरेजात रिपोर्ट तैयार की गई जिसके आधार पर वाद डिक्री किया गया ।

8– विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर ने मियाद के बिन्दू पर कोई निर्णय पारित किये बिना गुणावगुण के आधार पर आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित की है । आदेश 41 नियम 3 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय का यह कर्तव्य था कि वह सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू को तयकरता तत्पश्चात् प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिये था । किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने मियाद के बिन्दू को निर्णीत किये बिना ही अपील के गुणावगुण पर निर्णय पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

9— परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिकरूप से स्वीकार की जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के निर्णय दिनांक 16—12—2019 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण प्रथम अपीलीय न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह सर्वप्रथम आदेश—41 नियम—3 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुए मियाद के बिन्दू को तय करें तत्पश्चात् ही प्रकरण में आगामी कार्यवाही अमल में लाई जावे। उभय पक्षकारान को प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 03—11—2022 को उपस्थित होने के लिये पाबंद किया जाता है। पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु अभिलेखागार में भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भंवरसिंह सान्दू)
सदस्य

(अविनाश चौधरी)
सदस्य